केन्द्रीय सूचना आयोग
बाबा गंगनाथ मार्ग, मुनिरका
नई दिल्ली - 110067.
******

दिनांक: 01.03.2019

प्रथम अपील सं. CIC/AA/A/2019/69
संदर्भ संचिका सं. CICOM/A/2019/00055
CICOM/R/2019/00143

अपीलकर्ता : श्री किशन लाल,
बी-2 सी 167-ए,
जनकपुरी, नई दिल्ली – 110058.

निर्णय की तारीख : 01.03.2019

आर.टी.आई. आवेदन की तिथि	30.01.2019
आर.टी.आई. के तहत सूचना प्रदान करने की तिथि	12.02.2019, 18.02.2019, 22.02.2019, 22.02.2019, 25.02.2019, 25.02.2019
प्रतिउत्तर देने वाले जन सूचना अधिकारी	श्रीमती सविता तलूजा, श्री एस. एस. रोहिला, श्री टी. के. महापात्र, श्री एस. सी. शर्मा, श्री ए. के. असीजा, श्री आर. पी. ग्रोवर
प्रथम अपील दाखिल करने की तिथि	15.02.2019
प्रथम अपीलीय अधिकारी के कार्यालय का डायरी सं. व तिथि	88/27.02.2019 (9431/26.02.2019)

1. अपीलकर्ता द्वारा दिनांक 30.01.2019 के आर.टी.आई. आवेदन के माध्यम से 9 बिंदुओं पर सूचनाएं मांगी गई थी । अपीलकर्ता द्वारा प्रथम अपील आवेदन में उल्लेख किया गया है कि उन्हें केवल बिंदु सं. 1 एवं 2 से संबंधित सूचनाएं ही प्राप्त हुई हैं तथा अनुरोध किया है कि बिंदु सं. 3 से 9 तक की सूचनाएं प्रदान करवाई जाएं ।

2. संबंधित संचिका (प्रथम अपील आवेदन, आर.टी.आई. आवेदन एवं प्रदान की गई सूचना) का अवलोकन करने पर पाया गया अपीलकर्ता द्वारा दिनांक 30.01.2019 को आर.टी.आई. आवेदन दाखिल किया गया एवं सूचना अधिकार अधिनियम के तहत सूचना प्रदान करने हेतु निर्धारित अवधि से पूर्व ही दिनांक 15.02.2019 को प्रथम अपील दाखिल कर दिया गया, लिफफे पर लगी डाक विभाग की पर्ची के अनुसार जिसे अपीलकर्ता द्वारा 22.02.2019 को प्रेषित किया गया है ।

3. अपीलकर्ता के उक्त आर.टी.आई. आवेदन के बिंदु सं. 3 से 9 तक से संबंधित सूचनाएं केन्द्रीय सूचना आयोग के कई केन्द्रीय जन सूचना अधिकारियों श्री एस. एस. रोहिला, श्री टी. के. महापात्र, श्री एस. सी. शर्मा, श्री ए. के. असीजा एवं श्री आर. पी. ग्रोवर द्वारा दिनांक 18.02.2019 से 25.02.2019 की बीच उपलब्ध करवा दी गई हैं । श्री एस. एस. रोहिला, श्री टी. के. महापात्र, श्री एस. सी. शर्मा, श्री ए. के. असीजा एवं श्री आर. पी. ग्रोवर, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारियों द्वारा प्रदान की गई सूचनाओं से अधोहस्ताक्षरी पूर्णत: सहमत हैं तथा इनमें प्रथम अपीलीय अधिकारी के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है । केन्द्रीय जन सूचना अधिकारियों द्वारा प्रदान की गई सूचनाओं की प्रति इस आदेश के साथ पुनः संलग्न हैं ।

4. तद्नुसार अपील निस्तारित की जाती है ।

5. प्रस्तुत संदर्भ में अपीलकर्ता यदि इस आदेश/निर्णय से संतुष्ट न हों तो अधिनियम की धारा 19(3) के अंतर्गत द्वितीय अपील इस आदेश की प्राप्ति के 90 दिनों के अंदर केन्द्रीय सूचना आयोग, बाबा गंग नाथ मार्ग, मुनिरका, नई दिल्ली – 110067 में की जा सकती है ।

संलग्नक – यथोपरि ।

C. I. C./के० सू० आ०
RECEIVED
05 MAR 2019
D. No.........
Initials.........

(आर. के. सिंह)
अपर सचिव एवं
प्रथम अपीलीय अधिकारी
दूरभाष – 011-26162290

प्रतिलिपि :
केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, आर.टी.आई. प्रकोष्ठ, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली ।